



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

02 चैत्र, 1943 (श०)

संख्या- 230 राँची, मंगलवार,

23 मार्च, 2021 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

01 फरवरी, 2021 ई०।

संख्या-08/विविध (01)-46/2019- 440 -- चूँकि झारखण्ड राज्यपाल निम्न अनुसूची में वर्णित स्थानों में ध्वंसात्मक कार्यों को निवारित करने या दबाने और लोक व्यवस्था के अनुरक्षण के लिए यह आवश्यक एवं समीचीन समझते हैं कि अप्राधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश रोकने के निमित्त विशेष पूर्वावधानी बरती जाय,

इसलिए, अब बिहार (सह-पठित झारखण्ड) राज्य संरक्षित स्थान अधिनियम, 1979 (बिहार अधिनियम 1 1979) की धारा-3, उपधारा-1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल, अतिसंवेदनशील स्थल के अंतर्गत पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, 400/200 के.भी. उपकेन्द्र, मौजा-आचु, थाना-कोल्हान, थाना सं०-99, अंचल-सदर चाईबासा, जिला-पश्चिमी सिंहभूम परिसर के निम्न अनुसूची में वर्णित स्थानों के अंतर्गत कुल-44.28 एकड़ भूमि को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करती है:-

संरचना का नाम	मौजा का नाम एवं पता	खाता सं0	प्लाॅट सं0	कुल रकबा (क्षेत्रफल एकड़ में)	चैहद्दी		
पावर ग्रिड काॅरपोरेशन आॅफ इण्डिया लिमिटेड, 400/200 के.भी. चाईबासा उपकेन्द्र	मौजा-आचु, थाना-कोल्हान, थाना सं0-99, अंचल-सदर चाईबासा, जिला-पश्चिमी सिंहभूम।	1	1883	0.35	उत्तर- ग्रामीण सड़क/खुला मैदान		
		1	1930	1.79			
		1	1933	6.15		दक्षिण- बुरुजल गाँव की सीमा	
		कुल-		8.29			
		20	1934	25.47			
		20	1935				
		43	1937				
		43	1931				
		43	1936				
		43	1888				
		43	1890				
		152	1891				
		152	1889				
		68	1887		0.87	पूर्व- ग्रामीण सड़क/उलिझारी गाँव की सीमा	
		76	1886	0.56			
		70	1932	2.11			
		140	1938	2.04	पश्चिम- नहर		
		160	1929	1.33			
		130	1928	0.90			
		186	1881	0.66			
		155	1885	0.71			
		150	1882	0.83			
		166	1884	0.81			
		कुल-		35.99			
		क्षेत्रफल का कुल योग-				8.29 + 35.99 = 44.28 एकड़	

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिलसन लकड़ा,
सरकार के संयुक्त सचिव।
